


निग०-4855/2018/रीवा/भू-श०

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

92



विनोद शर्मा तनय श्री वंशगोपाल शर्मा उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम भलुहा पोस्ट मोहरखा 481 थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

_____निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- रोहणी प्रसाद तनय रामस्वरूप ब्रा० निवासी ग्राम पटना तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)
- 2- श्रीमती यशोमति पत्नी श्री रामसुमिरन ब्रा० निवासी ग्राम भलुहा तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

_____गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1225/अपील/2017-18 नामी प्रकरण यशोमति विरुद्ध रोहणी प्रसाद आदेश दिनांक 26.04.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म तथ्य निम्नानुसार हैः-

- 1- यह कि गैरनिगरानीकर्ता को आराजी नम्बर 409 रकवा 2.74 ए०, 410 रकवा 2.65 ए०, 411 रकवा 6.63 ए०, 401 रकवा 2.94 ए०, 412 रकवा 0.91 ए० मूल भूमिस्वामी प्रयागराम व मु० इन्द्रवती से जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.06.73 के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसका जरिये वसीयतनामा के आधार पर सेमरिया के प्र० 90/अ-6/94-95 आदेश दिनांक

विनोद शर्मा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R ४८५५ रीवा ११३ जिला रीवा

मित्र शम्भु विरुद्ध रोहनी शुद्धाद आ.

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

१४.१२.१८

- आवेदक की ओर से श्री अशोक शिष्य कुमार अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिशनर/अपर कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक १२५/अपौला/१२-१४ में पारित आदेश दिनांक २६.५.१८ के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक ०७-०८.२०१८ प्रस्तुत की गयी है।
- म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
- इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।

संदर्भ
